



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-09.05.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में दहेज हत्या के मामले से सम्बन्धित प्रत्येक अभियुक्त/अभियुक्तागण को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-397/2013 धारा 498ए,304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अनिल गुप्ता पुत्र स्व0 सीताराम गुप्ता, 2. श्रीराम गुप्ता पुत्र स्व0 सीतारहाम गुप्ता, 3. मानिक राम गुप्ता पुत्र स्व0 सीताराम गुप्ता व अभियुक्तागण 4. निर्मला गुप्ता पत्नी श्रीराम गुप्ता, 5. उषा गुप्ता पत्नी सालिक राम गुप्ता, 6. राधा देवी पत्नी मानिक राम गुप्ता निवासीगण परमापुर तड़कापुर थाना कोतवाली नगर जनपद मीरजापुर व 7. मंजू देवी पत्नी विजय गुप्ता निवासिनी जयराम बगीचा घंटाघर थाना कोतवाली नगर जनपद मीरजापुर को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-08.05.2024 को माननीय न्यायालय ADJ-09 वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 498ए भा0द0वि0 व 4 डी0पी0 एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 498ए भा0द0वि0 में 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 10-10 हजार रूपये व धारा 4 डी0पी0 एक्ट में 02-02 वर्ष के साधारण कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।